राजस्व वाद संख्याः– 41/2023
श्रवणी वगै0 बनाम नारायणी वगै0
निर्णय दिनांकः– 16-10-2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

असीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

स्व वाद सं.–41/2023

1. श्रीमती श्रवणी देवी पुत्री स्व0 हनुमानाराम पत्नी महावीर प्रसाद आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी ढ़ाणी ब्राहमणान तन देवरोड़ हाल निवासी वार्ड न0 32 विजय गैस एजेन्सी के पिछे चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
2. प्रभुदयाल आयु 62 वर्ष
3. बलदेव आयु 59 वर्ष
4. चिरंजीलाल आयु 56 वर्ष

पुत्रगण स्व0 हनुमानाराम समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी ब्राहमणान तन देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

– वादीगण

बनाम

1. श्रीमती नारायणी देवी आयु 80 वर्ष पत्नी स्व0 मनीराम जाति माली निवासी ढ़ाणी ब्राहमणान तन देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. पालाराम आयु 60 वर्ष,
3. राहिताश आयु 58 वर्ष,
4. रघुवीर आयु 56 वर्ष,
5. जगदीश आयु 54 वर्ष,

समस्त पुत्रगण स्व0 मनीराम समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी ब्राहमणान तन देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

6. मु0 श्याना देवी पुत्री स्व0 मनीराम स्त्री गोपीराम आयु 52 वर्ष जाति माली निवासी देवरोड़ रोड़ ढ़ाणी ब्राहमणान हाल निवासी पकोड़ी की ढ़ाणी तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं राज0।
7. मु0 कमला देवी पुत्री स्व0 मनीराम स्त्री छोटेलाल, आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी देवरोड़ रोड़ ढ़ाणी ब्राहमणान हाल निवासी पकोड़ी की ढ़ाणी तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं राज0।
8. गुगनराम आयु 68 वर्ष पुत्र स्व0 हनुमानाराम जाति माली निवासी देवरोड़ रोड़ ढ़ाणी ब्राहमणान तन देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

महावीर प्रसाद आयु 65 वर्ष पुत्र स्व0 हनुमानाराम जाति माली निवासी देवरोड़ रोड़ ढ़ाणी ब्राहमणान तन देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

10. केशरदेव,
11. किशनलाल,
12. जगदीश प्रसाद,
13. भगवतीप्रसाद,
14. राधेश्याम,
15. रामकुमार,

समस्त पुत्रगण स्व0 जुगलकिशोर जाति महाजन निवासी नेमानियों का मोहल्ला चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।

16. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता वादीगण

1. श्री सन्दीप मान एड0
2. श्री करणी सिंह एड0

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक –

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) जमीन हाल ख0न0 235/219 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम ढ़ाणी ब्रहामणान पटवार हल्का देवरोड़ तहत तहसील सूरजगढ़ के वादीगण का 1/3 बहिस्सा के, प्रतिवादीण संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 बहिस्सा के, प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 का 1/6 बहिस्सा के कोटिनेन्टस (सहआसामी) है और इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु तहरीर प्रतिवादी संख्या 16 को भेजी जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जमीन वर्णित धारा 13क वाद पत्र को न विक्रय करे, न रहन रखे, न किसी प्रकार का हन्तान्तरण विलेख निष्पादित करवाये। वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा न तो स्वयं डाले और न ही किसी अपने एजेन्ट से डलवाये। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

खर्चा मुकदमा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 15 से दिलवाया जावे।

यह कि अन्य सिद्वि वादीगण के हक में हो तथा किसी कारणवश भूल से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 7 नियम 7 जाब्ता दीवानी के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन जारी की गयी। बावजूद तामील प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 हाजिर नहीं आये। बार–बार आवाज लगवाये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये, ना ही उनकी और से कोई अतिवक्ता उपस्थित आये अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा श्रवणी देवी, प्रभुदयाल, बलदेव, चिरंजीलाल की और से शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पी0डब्ल्यू0–1 लगायत पी0डब्ल्यू0–4 पेश किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट हाल, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट गत, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2074–77, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2021–24, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण पंजिका संख्या 206 दिनांक 01.07.1967, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2025–28, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2025–28, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2025–28, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2029–32, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2029–32, प्रमाणित प्रतिलिपि खेवट खतौनी संवत 2044 से 2063, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2049–52, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2053–56, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2057–60, असल विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1984 बहक हनुमानाराम व मनीराम। समस्त पर प्रर्दश 1 लगायत 16 अंकित किये गये।

बहस सुनी गई।

वादी वकील ने बहस में बताया की सागरमल व घड़सीराम पुत्रगण गणेशाराम जाति महाजन नामक व्यक्ति कस्बा चिड़ावा में हुए। उक्त सागरमल व घड़सीराम की कृषि भूमि सरहद ग्राम देवरोड़ वर्तमान ग्राम ढाणी ब्राहमणान में कृषि भूमि गत ख0न0 304 एवं 305/1 रकबा 12 बीघा 5 बिश्वा, गत ख0न0 306 रकबा 6 बीघा 13 बिश्वा, गत ख0न0 307 एवं 305/2 रकबा 17 बीघा 7 बिश्वा, गत ख0न0 308 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा, गत ख0न0 309 एवं 310 रकबा 3 बीघा 9 बिश्वा, गत ख0न0 311/1 रकबा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

6 बीघा 1 बिश्वा, गत ख0न0 311/3 एवं 313 रकबा 7 बीघा 1 बिश्वा, गत ख0न0 312 रकबा 4 बिश्वा, गत ख0न0 314 एवं 316 रकबा 10 बीघा 10 बिश्वा, गत ख0न0 315 रकबा 4 बिश्वा कुल किता 10 कुल रकबा 75 बीघा 14 बिश्वा थी। उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा सागरमल के व 1/2 हिस्सा घड़सीराम के खातेदारी में थी और इसी प्रकार हिस्से अनुसार उक्त सागरमल व घड़सीराम बराबर हिस्सा काश्त करते थे। उक्त सागरमल का देहान्त हो गया। उक्त सागरमल का उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा उसके पुत्र बनारसीलाल व गुलाबराय के नाम राजस्व रिकार्ड में उतराधिकारी होने से दर्ज हुआ।

उक्त सागरमल के पुत्र बनारसीलाल व गुलाबराय व उनके चाचा घड़सीराम ने अपनी–अपनी कृषि भूमि का विभाजन कर लिया। उक्त घड़सीराम पुत्र गणेशाराम का देहान्त हो गया। उक्त घड़सीराम के एक पुत्र जुगलकिशोर हुआ। उक्त जुगलकिशोर पुत्र घड़सीराम का देहान्त अपने पिता घड़सीराम के जीवनकाल में ही हो गया था। इस प्रकार घड़सीराम की उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा उसके पौत्र प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 को मिलां ।

उक्त कृषि भूमि के विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 01.07.1967 के द्वारा सागरमल का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा उसके वारीसान को इस प्रकार मिला की कृषि भूमि गत ख0न0 311/3/2 रकबा 2 बीघा 11 बिश्वा, गत ख0न0 311/1/3 रकबा 17 बिश्वा, गत ख0न0 313/2 रकबा 2 बिश्वा, गत ख0न0 305/3 रकबा 6 बिश्वा, गत ख0न0 307/2 रकबा 12 बीघा 16 बिश्वा, गत ख0न0 316/3 रकबा 1 बीघा 15 बिश्वा कुल किता 6 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिश्वा बनारसीलाल के हिस्से मे आयी तथा गत ख0न0 308 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा, गत ख0न0 309 रकबा 3 बीघा 1 बिश्वा, गत ख0न0 310 रकबा 8 बिश्वा, गत ख0न0 311/3/3 रकबा 1 बीघा 18 बिश्वा, गत ख0न0 311/3/4 रकबा 1 बीघा 10 बिश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 9 बिश्वा जमीन गुलाबराय के हिस्से में आयी।

उक्त कृषि भूमि के विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 01.07.1967 के द्वारा घड़सीराम का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा उसके पौत्रों प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को इस प्रकार मिला की कृषि भूमि गत ख0न0 311/3/1 रकबा 2 बीघा 1 बिश्वा, गत ख0न0 311/1/1 रकबा 2 बीघा 18 बिश्वा, गत ख0न0 313/1 रकबा 6 बिश्वा, गत ख0न0 304 रकबा 11 बीघा 18 बिश्वा, गत ख0न0 305/1 रकबा 6 बिश्वा, गत ख0न0 305/2 रकबा 6 बिश्वा, गत ख0न0 306 रकबा 6 बीघा 13

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

बिश्वा, गत ख0न0 307/1 रकबा 4 बीघा, गत ख0न0 316/1 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा हिस्से में आयी।

इस प्रकार उक्त बनारसीलाल व गुलाबराय व प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 के हिस्से में अलग–अलग कृषि भूमि आई। उक्त गुलाबराय व प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 ने अपनी–अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि अलग–अलग व्यक्तियों को अलग–अलग समय में जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दी जिसका मौजूदा दावा में कोई विवाद नहीं है।

उक्त बनारसीलाल पुत्र सागरमल ने अपनी विभाजन में आई उक्त कृषि भूमि कुल रकबा 18 बीघा 10 बिश्वा को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1984 को 49000/– रूपये के प्रतिफल राशि प्राप्त कर हनुमानराम व मनीराम पुत्रगण लादूराम जाति सैनी निवासी काली पहाड़ी को बहिस्सा बराबर विक्रय कर उप पंजीयक चिड़ावा से पंजीबद्व करवा दिया। इस प्रकार उक्त बनारसीलाल ने अपने हिस्से से आई सम्पूर्ण कृषि भूमि का विक्रय पत्र उक्त हनुमानाराम व मनीराम के बहिस्सा करवा कर कब्जा काश्त करवा दिया।

उक्त हनुमानाराम का देहान्त हो गया और उसकी स्त्री का भी देहान्त हो गया। उक्त हनुमानाराम पुत्र लादूराम के विधिक प्रतिनिधिगण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 पुत्र व पुत्री हुये।

उक्त मनीराम पुत्र लादूराम का भी देहान्त हो गया। उक्त मनीराम के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 स्त्री, पुत्रगण व पुत्रीगण होने से है। इस प्रकार उक्त हनुमानाराम की क्रयशुदा कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 को बहिस्सा व मनीराम का हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को बहिस्सा मिला।

जमीन गत ख0न0 311 मीन के दौराने भूप्रबंध हाल ख0न0 235/219 रकबा 0.41 है0 बने जो वर्तमान राजस्व ग्राम ढाणी ब्राहमणान तहसील सूरजगढ़ स्थित है। जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के पिता हनुमानाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पति व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता मनीराम ने बहिस्सा दिनांक 05.06.1984 को जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी। जमीन जैर बहस पहले चिड़ावा तहसील के तहत की कृषि भूमि थी। चिड़ावा तहसील के क्षेत्र में भू प्रबन्ध की कार्यवाही सन् 1977–78 से 1988 के दौरान हुई थी। भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वजों हनुमानाराम व मनीराम द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय की हुई जमीन जैर बहस का

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व रिकार्ड बिना कोई आधार के प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 के नाम गलती से दर्ज कर दी जबकि प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 ने अपनी हिस्से की कृषि भूमि का पहले ही बेचान कर दिया था। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के पिता हनुमानाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज मनीराम के नाम जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया और भू प्रबन्ध के कर्मचारियों ने गलती से प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 के नाम बिना कब्जा काश्त के व बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। कानून से भू प्रबन्ध के कर्मचारियों व अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड की पुनरावर्ती करनी चाहिए थी। किसी की खातेदारी खतम करने व खातेदारी देने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इस कारण जमीन जैर बहस में वादीगण 1/3 बहिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 बहिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/6 बहिस्सा के खातेदार काश्तकार है और इसी प्रकार वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है।

जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त है तथा चारो तरफ आवारा पशुओं को फसल की सुरक्षा के लिए लोहे के तारों से तारबाड़ कर रखी है। प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 15 जमीन जैर बहस पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज हनुमानाराम व मनीराम की बिना कोई आधार के खातेदारी खत्म कर प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 के नाम गलत दर्ज कर दी। उक्त हनुमानाराम व मनीराम ने जमीन जैर बहस को सन् 1984 में ही जरिये विक्रय पत्र क्रय कर ली थी। एक बार खातेदारी अधिकार मिलने के बाद केवल धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान से ही खत्म हो सकती है। इस प्रकार धारा 63 के प्रावधान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के लिए लागू नहीं हुए। इस प्रकार जमीन जैर बहस का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रदर्श संख्या 16 का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि बनारसीलाल पुत्र सागरमल ने अपनी विभाजन में आई उक्त कृषि भूमि कुल रकबा 18 बीघा 10 बिश्वा को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1984 को 49000/– रूपये के प्रतिफल राशि प्राप्त कर हनुमानाराम व मनीराम पुत्रगण लादूराम जाति सैनी निवासी काली पहाड़ी को बहिस्सा बराबर विक्रय कर उप पंजीयक चिड़ावा से पंजीबद्व करवा दिया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के पिता

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

हनुमानाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज मनीराम के नाम जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया और भू प्रबन्ध के कर्मचारियों ने गलती से प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 के नाम बिना कब्जा काश्त के व बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। कानून से भू प्रबन्ध के कर्मचारियों व अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड की पुनरावर्ती करनी चाहिए थी। किसी की खातेदारी खतम करने व खातेदारी देने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इस कारण जमीन जैर बहस में वादीगण 1/3 बहिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 बहिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/6 बहिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इस कारण न्यायालय दावा के तथ्यों व दस्तावेजात से सहमत होने से न्यायालय दावा को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि जमीन हाल ख0न0 235/219 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम ढ़ाणी ब्रहामणान पटवार हल्का देवरोड़ तहत तहसील सूरजगढ़ के वादीगण का 1/3 बहिस्सा के, प्रतिवादीण संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 बहिस्सा के, प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 का 1/6 बहिस्सा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 16-10-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:– 41/2023
श्रवणी वगै0 बनाम नारायणी वगै0
निर्णय दिनांक:–16-10-2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

सीन अधिकारी :– दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

स्व वाद सं.– 41/2023

य दिनांक :–

श्रवणी वगै0 **बनाम** नारायणी वगै0

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दाव वादी की ओर से **श्री सन्दीप मान एड0** उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 2023 को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के ए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि जमीन ुल ख0न0 235/219 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम ढ़ाणी ब्रहामणान पटवार हल्का देवरोड़ हित तहसील सूरजगढ़ के वादीगण का 1/3 बहिस्सा के, प्रतिवादीण संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 बहिस्सा के, प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 का 1/6 बहिस्सा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़